MPSE - 011

European Union in World Affairs

Important questions for the December Examination.

Hindi & English Both Medium

REVISON CLASS 02

Scholarly Minds

1. Describe the Organs and Functions of the European Court of Justice

यूरोपीय न्यायालय के अंगों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए।

1. **The Court of Justice**:
   The main body of the European Court of Justice is responsible for interpreting EU law and ensuring its uniform application across all member states. It has the power to hear cases brought by EU institutions, member states, or individuals.
   न्यायालय का न्यायमंडल:
   यूरोपीय न्यायालय का मुख्य अंग EU कानून की व्याख्या करने और इसे सभी सदस्य देशों में समान रूप से लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है। इसके पास EU संस्थाओं, सदस्य देशों, या व्यक्तियों द्वारा लाए गए मामलों की सुनवाई करने की शक्ति होती है।
2. **The General Court**:
   The General Court is responsible for handling cases brought by individuals, companies, and some organizations against EU institutions. It deals with issues related to competition law, state aid, and intellectual property rights.
   सामान्य न्यायालय:
   सामान्य न्यायालय उन मामलों को संभालता है जो व्यक्तियों, कंपनियों और कुछ संगठनों द्वारा EU संस्थाओं के खिलाफ लाए जाते हैं। यह प्रतिस्पर्धा कानून, राज्य सहायता और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मुद्दों को देखता है।
3. **The Advocate General**:
   The Advocate General provides independent legal opinions on cases before the Court of Justice. These opinions help guide the Court in making its rulings but are not binding.
   अधिवक्ता जनरल:

अधिवक्ता जनरल न्यायालय के समक्ष मामलों पर स्वतंत्र कानूनी राय प्रदान करता है। ये राय न्यायालय को निर्णय लेने में मदद करती हैं, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं होती हैं।

4. **Functions of the European Court of Justice**:
    - Ensures the uniform interpretation and application of EU law.
    - Resolves legal disputes between EU institutions, member states, and individuals.
    - Issues preliminary rulings on EU law questions posed by national courts.

    यूरोपीय न्यायालय के कार्य:
    - EU कानून की समान व्याख्या और लागूकरण को सुनिश्चित करता है।
    - EU संस्थाओं, सदस्य देशों और व्यक्तियों के बीच कानूनी विवादों को हल करता है।
    - राष्ट्रीय न्यायालयों द्वारा प्रस्तुत EU कानून से संबंधित प्रश्नों पर प्रारंभिक निर्णय जारी करता है।

2. Analyse the Basic Features of the Maastricht Treaty

संधि के मूल विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए।

1. **Creation of the European Union**:
   The Maastricht Treaty, signed in 1992, established the European Union (EU), which integrated political, economic, and social cooperation among member states.

   यूरोपीय संघ का निर्माण:
   1992 में हस्ताक्षरित मास्ट्रिच संधि ने यूरोपीय संघ (EU) की स्थापना की, जिसने सदस्य देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सहयोग को एकीकृत किया।
2. **Introduction of the Common Currency (Euro)**:
   The treaty laid the foundation for the introduction of the euro as the single currency for the EU, which began circulating in 2002.

   सामान्य मुद्रा (यूरो) का परिचय:
   संधि ने यूरो को EU की एकल मुद्रा के रूप में पेश करने का आधार तैयार किया, जो 2002 में प्रचलन में आई।
3. **Pillars of the EU**:
   The treaty introduced a three-pillar structure:
    - The European Communities
    - Common Foreign and Security Policy
    - Justice and Home Affairs

    EU के स्तंभ:
    संधि ने तीन स्तंभ संरचना को पेश किया:
    - यूरोपीय समुदाय
    - सामान्य विदेश और सुरक्षा नीति
    - न्याय और घरेलू मामले
4. **Increased Powers of the European Parliament**:
   The Maastricht Treaty increased the powers of the European Parliament, including the introduction of co-decision procedures with the Council of Ministers.

   यूरोपीय संसद की बढ़ी हुई शक्तियाँ:
   मास्ट्रिच संधि ने यूरोपीय संसद की शक्तियों को बढ़ाया, जिसमें मंत्रिपरिषद के साथ सह-निर्णय प्रक्रिया की शुरुआत की गई।

Scholarly Minds

5. **Citizenship of the European Union**:
   The treaty introduced EU citizenship, granting citizens of member states the right to live, work, and vote in any EU country.
   यूरोपीय संघ की नागरिकता:
   संधि ने EU नागरिकता पेश की, जिससे सदस्य देशों के नागरिकों को किसी भी EU देश में रहने, काम करने और मतदान करने का अधिकार मिला।

3. Explain the Factors that Contributed to the Formation of a Single European Market

एकल यूरोपीय बाजार के निर्माण में योगदान देने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए।

1. **Economic Integration**:
   The goal of creating a single European market was to eliminate barriers to trade between member states, such as tariffs and quotas. This encouraged the free movement of goods, services, capital, and people.
   आर्थिक एकीकरण:
   एकल यूरोपीय बाजार बनाने का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच व्यापार में अवरोधों, जैसे कि शुल्क और कोटा, को समाप्त करना था। इससे माल, सेवाओं, पूंजी और लोगों की मुक्त आवाजाही को बढ़ावा मिला।
2. **Harmonization of Laws and Standards**:
   To ensure a level playing field, EU member states worked to harmonize regulations, standards, and procedures, particularly in areas like product safety, competition, and consumer protection.
   कानूनों और मानकों का सामंजस्य:
   एक समान प्रतियोगिता सुनिश्चित करने के लिए, EU सदस्य देशों ने नियमों, मानकों और प्रक्रियाओं को सामंजस्यपूर्ण बनाने के लिए काम किया, विशेष रूप से उत्पाद सुरक्षा, प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में।
3. **The Establishment of Common Policies**:
   The EU created common policies in trade, agriculture, and transport, which helped facilitate the free movement of goods and services across member states.
   सामान्य नीतियों की स्थापना:
   EU ने व्यापार, कृषि और परिवहन में सामान्य नीतियाँ बनाई, जिससे सदस्य देशों के बीच माल और सेवाओं की मुक्त आवाजाही को सुविधाजनक बनाने में मदद मिली।
4. **Single European Act (1986)**:
   The Single European Act, signed in 1986, was instrumental in pushing the European integration process forward by setting the legal basis for the single market.
   सिंगल यूरोपीय अधिनियम (1986):
   1986 में हस्ताक्षरित सिंगल यूरोपीय अधिनियम ने एकल बाजार के लिए कानूनी आधार स्थापित करके यूरोपीय एकीकरण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
5. **Political Will and Consensus**:
   Political will among EU member states to deepen economic integration and create a competitive internal market was a driving force behind the formation of the single European market.
   राजनीतिक इच्छाशक्ति और सहमति:
   EU सदस्य देशों के बीच आर्थिक एकीकरण को गहरा करने और एक प्रतिस्पर्धी आंतरिक

Scholarly Minds

बाजार बनाने की राजनीतिक इच्छाशक्ति एकल यूरोपीय बाजार के निर्माण के पीछे प्रेरक शक्ति थी।

4. Examine the Issues and Problems in India-European Union Relations

भारतीय यूरोपीय यूनियन संबंधों में मुद्दों एवं समस्याओं का परीक्षण कीजिए।

1. **Trade and Tariff Barriers**:
   India and the EU have faced challenges in negotiating a Free Trade Agreement (FTA), with disagreements over tariff barriers, market access, and regulatory standards.
   व्यापार और शुल्क अवरोध:
   भारत और यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर बातचीत करते समय शुल्क अवरोध, बाज़ार तक पहुँच और नियामक मानकों पर असहमतियाँ सामने आई हैं।
2. **Differing Views on Climate Change**:
   While both India and the EU acknowledge the importance of tackling climate change, there are differences in their approaches. The EU pushes for stronger emissions targets, while India seeks support for its development needs.
   जलवायु परिवर्तन पर भिन्न दृष्टिकोण:
   जबकि भारत और यूरोपीय संघ दोनों जलवायु परिवर्तन से निपटने के महत्व को मान्यता देते हैं, उनके दृष्टिकोण में अंतर है। यूरोपीय संघ मजबूत उत्सर्जन लक्ष्यों का समर्थन करता है, जबकि भारत अपने विकासात्मक आवश्यकताओं के लिए समर्थन चाहता है।
3. **Visa and Immigration Issues**:
   There are ongoing issues regarding visa policies and immigration between India and several EU member states, leading to concerns about free movement of people.
   वीज़ा और प्रवासन मुद्दे:
   भारत और कई यूरोपीय संघ सदस्य देशों के बीच वीजा नीतियों और प्रवासन को लेकर लगातार समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं, जिससे लोगों की मुक्त आवाजाही को लेकर चिंता पैदा होती है।
4. **Security and Counterterrorism Cooperation**:
   While both India and the EU have increased cooperation in counterterrorism, there are challenges in aligning their security priorities and responding to regional threats like terrorism in South Asia.
   सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग:
   जबकि भारत और यूरोपीय संघ ने आतंकवाद विरोधी सहयोग बढ़ाया है, उनकी सुरक्षा प्राथमिकताओं को संरेखित करने और दक्षिण एशिया में आतंकवाद जैसे क्षेत्रीय खतरों का जवाब देने में चुनौतियाँ हैं।
5. **Geopolitical and Strategic Differences**:
   India and the EU sometimes have different approaches to geopolitical issues, such as their stance on Russia, Iran, and trade with China, which creates friction in their relationship.
   भूराजनीतिक और रणनीतिक मतभेद:
   भारत और यूरोपीय संघ के भूराजनीतिक मुद्दों पर दृष्टिकोण अलग-अलग होते हैं, जैसे कि रूस, ईरान और चीन के साथ व्यापार पर उनका रुख, जो उनके संबंधों में तनाव उत्पन्न करता है।

Scholarly Minds